क्रम संख्या–67

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 06 अप्रैल, 2015 ई0

चैत्र 16, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 98 / XXXVI(3) / 2015 / 15(1) / 2015

देहरादून, 06 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2015"** पर दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 16 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2015)

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने और उससे संबंधित मामलों अथवा अनुषांगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''आयोग'' से धारा 3 के अधीन गठित उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है;

(ख) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) ''राज्य'' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(घ) ''राज्य सरकार'' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ड.) ''सदस्य'' से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है तथा इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(च) ''अनुसूचित जनजाति'' से भारत के संविधान में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति, अभिप्रेत है;

(छ) ''अनुसूची'' से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या. 4 वर्ष 1994) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की अनुसूची–एक अभिप्रेत है।

अध्याय– 2

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन

3. राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा।

आयोग की संरचना

4. (1) आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं आठ सदस्य होंगे। आयोग में प्रत्येक जनजाति के दो ही व्यक्ति होंगे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जनजाति के ऐसे योग्य पुरूष अथवा महिला पात्र होंगे जैसा विहित किया जाय।

(2) सदस्य की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जायेगी जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिये न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा तथा उनसे संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान के लिए योगदान दिया हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्तियां अधिसूचित की जायेंगी।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

5. (1) आयोग का प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जब वह पद ग्रहण करे, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्तिः–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाय;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, सिद्धदोष और कारावास से दण्डित किया जाय;

(ग) विकृतचित्त हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय;

(घ) कार्य करने से इनकार कर दे या कार्य करने के अयोग्य हो जाय;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्राप्त किये बिना, आयोग की निरन्तर तीन बैठकों से अनुपस्थित रहे; या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग करे जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अनुसूचित जनजातियों के हित या लोकहित के लिए हानिकारक हो जाय :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को, इस धारा के अधीन, तब तक नही हटाया जायेगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति को नया नामनिर्देशन करके भरा जायेगा।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा संबंधी अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जायें।

आयोग के अधिकारी तथा कर्मचारी

6. (1) राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाना

7. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत धारा 6 में निर्दिष्ट सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन है, का भुगतान धारा 13 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा।

रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

8. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है।

प्रकिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

9. (1) आयोग जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

(3) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तव्यों का उपाध्यक्ष द्वारा जैसा राज्य सरकार निर्देशित करे, तब तक निर्वहन किया जायेगा जब तक कि नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या, यथास्थिति विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं सम्भालता है।

(4) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

(5) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते है तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जायेगा।

राज्य सरकार का आयोग से परामर्श करना

10 राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले समस्त मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय–3

आयोग के कृत्य तथा शक्तियां

आयोग के कृत्य

11. (1) आयोग के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात–

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करना;

(ख) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सुझाव देना और विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जैसा आयोग उचित समझे;

(ड.) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिये उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के संबंध में जो राज्य सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करना।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा के समक्ष आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी।

आयोग की शक्तियां

12. किसी बात का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, प्राप्त होंगी, अर्थात :–

(क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने और जबरदस्ती शपथ पर उसकी परीक्षा करने;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए सम्मन जारी करने; और

(च) किसी अन्य विषय में, जैसा विहित किया जाय।

अध्याय-4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान 13. (1) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक विनियोजन किये जाने के पश्चात्, आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जैसी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये उचित समझे।

(2) आयोग ऐसी राशि, जैसी वह अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादन के लिये उचित समझे, खर्च कर सकता है और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से व्यय के रूप में देय समझा जायेगा।

लेखे तथा संपरीक्षा 14. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा।

(2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी जो उसका लेखा-परीक्षण करवायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट 15. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाये, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का सम्पूर्ण विवरण दिया जायेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना 16. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ आयोग द्वारा दी गयी सलाह पर की गई कार्रवाई और यदि ऐसी किसी सलाह को अस्वीकार किया गया है तो ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का, यदि कोई हो, एक ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट, प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय-5

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे 17. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं0 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

शास्ति 18. जो कोई धारा 12 के अधीन आयोग के किसी आदेश का पालन करने में विधिक रूप से बाध्य होते हुये जानबूझकर उल्लंघन करता है, सिद्धदोष होने पर यथास्थिति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा।

अपराधों का संज्ञान 19. कोई न्यायालय, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर संज्ञान के सिवाय धारा 18 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान नही लेगा।

सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई का संरक्षण 20. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति 21. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात–

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पात्रता, धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों तथा धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंधन तथा शर्तें;

(ख) धारा 12 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषय;

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा;

(घ) प्रपत्र, जिसमें और समय जब धारा 15 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;

(ङ) कोई अन्य विषय, जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

22. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 98/XXXVI(3)/2015/15(1)/2015
Dated Dehradun, April 06, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Commission for the Scheduled Tribes Bill, 2015"** (Adhiniyam Sankhya 16 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 01 April, 2015.